भारत सरकार Government of India परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

नियामक भवन NiyamakBhavan अणुशक्तिनगर Anushaktinagar मुंबई Mumbai- 400 094.

सं.No. एईआरबीAERB/प्रशा.ADMIN/2021/888

अप्रैल/April 20, 2021

कार्यालय आदेश Office Order

विषय : कोविड-के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय 19 Sub: <u>Preventive Measures to Contain the Spread of COVID-19</u>

उपरोक्त विषय पर पऊवि के दिनांक 16 अप्रैल, 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 16/06/2020-SCS/COVID-19/Vol.III/4909 के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार के आदेशों के अनुसार जारी दिनांक 13 अप्रैल, 2021 के सं. DMU/2020/CR.92/Dism-I तथा एईआरबी के दिनांक 06 अप्रैल, 2021 के कार्यालय आदेश सं. एईआरबी/प्रशा./2021/789 का संदर्भ लें। उपरोक्त आदेशों के आधार पर तथा मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेते हुए, मुंबई में एईआरबी सचिवालय दिनांक 21 अप्रैल, 2021 से निम्नानुसार कार्य करेगा;

Reference is invited to DAE Office Memorandum No. 16/06/2020-SCS/COVID-19/Vol.III/4909 dtd. April 16, 2021 on the subject, in accordance with the Orders from Government of Maharashtra (GoM), issued vide No. DMU/2020/CR.92/DisM-I, dtd. April 13, 2021 and AERB office order No. AERB/ADMIN/2021/789 dtd. April 06, 2021. Based on above mentioned orders and taking cognizance of current situation in Mumbai Metropolitan Region (MMR), AERB Secretariat at Mumbai shall function with effect from April 21, 2021 as follows:

(i) प्रबंधन स्तर के कर्मिकों (अनुभाग प्रमुख और इसके ऊपर) और एईआरबी के कामकाज के लिए चिहिनत आवश्यक एवं सहायक कर्मचारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय से कार्य करेंगे। शेष कर्मचारी दैनिक रोस्टर के आधार पर विभागीय कार्य आवश्यकताओं के अनुसार कार्यालय में उपस्थित होंगे, ताकि अधिकतम समग्र उपस्थिति 50% से कम हो।

गर्भवती महिलाओं, कॅन्टेनमेन्ट क्षेत्र में रहने वाले अलग तरह के विकलांग व्यक्तियों और अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकते हैं।

Management level personnel (Section Head and above) and identified essential and supporting staff needed for functioning of AERB will work from office on all working days.Remaining staff shall attend office as per Divisional work requirements based on daily roster, so that the maximum overall attendance is kept to below 50%".

Pregnant women, differently abled persons and officials residing in containments zones may allowed to work from home.

- (ii) वे अधिकारी/कर्मचारी जो कार्यालय नहीं जा रहे हैं, वे घर से काम करेंगे और वे हर समय आवश्यक कार्य होने पर टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार के साधनों पर उपलब्ध रहेंगे।
 - Those officers/staff who are not attending office and not on leave, shall Work from Home (WFH)
 and they shall be available on telephone and electronic means of communications and attend office
 in case of any work exigencies.

- (iii) हाउसकीपिंग स्टाफ (अनुबंध पर) प्रचलित एसओपी के अनुसार, स्वच्छता जरूरतों के अनुसार उपस्थित रहेंगे।
 Housekeeping staff (on contract) shall attend as per hygiene needs, in accordance with the prevailing SOP.
- (iv) आरोग्य सेतु ऐप पर निर्देशों सिहत 'लॉक डाउन के बाद काम फिर से शुरू करने और एईआरबी के कामकाज को जारी रखने के लिए एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 'SOP for work resumption after lock down and continue the functioning of AERB', as updated, shall be strictly followed including instructions on ArogyaSetu App.
- (v) बाहरी आगंतुकों को एईआरबी में अनुमित नहीं है, और एईआरबी कर्मचारियों के अलावा किसी और के साथ बैठकें केवल ऑनलाइन आयोजित की जानी चाहिए। Outside visitors are not allowed in AERB, and meetings with anyone other than AERB staff must only be conducted online.

संरक्षा अनुसंधान संस्थान, कल्पक्कम और एईआरबी के क्षेत्रीय नियामक केंद्र अपनी अवस्थिति के क्षेत्र में प्रचलित आदेशों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

Safety Research Institute (SRI) Kalpakkam and the Regional Regulatory Centers of AERB shall abide by the orders and procedures prevailing at the region of its location.

तदनुसार, निदेशकों/प्रभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे नियंत्रणाधीन कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दें तथा प्रभाग निदेशालय के ड्यूटी रोस्टर तैयार करें। / कोविड-19 के रोकथाम पर अतिरिक्त सावधानियों से संबंधित एईआरबी की उप-समिति से अनुरोध है कि वे कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के खतरे की समीक्षा करें और तत्काल सुरक्षात्मक उपायों की समीक्षा करें।

Accordingly, Directors / Heads of Division are requested to give necessary instructions to the staff under their control and prepare duty roster of the Division / Directorate. AERB Sub-Committee on Additional Precautions on COVID-19 protection is requested to review the threat of the spread of COVID-19 infection and recommend any immediate protective measures.

उपरोक्त आदेश अप्रैल 30, तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो 2021, तक लागू होगा। The above order will be applicable up to April 30, 2021 or until further orders whichever is earlier.

यह अध्यक्ष, एईआरबी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This is issued with the approval of Chairman, AERB.

(कृष्णकुमार वी.Krishnakumar V.)

प्रशासन अधिकारी Administrative Officer-III

सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, एईआरबी /All Officers and Staff, AERB

प्रतिलिपि / Copy to:

अध्यक्ष का कार्यालय, एईसी /Office of Chairman, AEC स्रक्षा अधिकारी, एईआरबी /Security Officer, AERB

प्रमुख, आरड़ीड़ी, एईआरबी सभी संबंधितों की - जानकारी के लिए इस परिपत्र को एईआरबी वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।

Head, RDD, AERB - With a request to put this circular on AERB website forinformation of all concerned.